Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का सहायक प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) 9 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जुलाई, शुक्रवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज नसीराबाद में कार्यवाही करते हुये गिरिराज प्रसाद सैनी (रीडर) सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 9 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ए.डी.एम. कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने की एवज में गिरिराज प्रसाद सैनी (रीडर) सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभुलाल कुमावत** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए गिरिराज प्रसाद सैनी (रीडर) सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 9 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत से पूर्व ही परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।